- बीमा प्रस्ताव में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य में पशुओं के इस्तेमाल की अवस्था में
- बीमारी में इलाज न करवाने पर या मृत्यु को टालने का प्रयास न करने पर

तालिका –2. प्रीमियम दर और केन्द्रीय सहायता

प्रीमियम की दर	केंद्रीय सहायता
एक वर्ष की बीमा पालिसी के लिए बीमित राशि की प्रीमियम का दर%	गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालों के लिए केंद्र का हिस्सा 25%, राज्य का हिस्सा 25% और लाभुक का हिस्सा 50% गरीबी रेखा के नीचे वालो/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र का हिस्सा 40%, राज्य का हिस्सा 30% और लाभुक का हिस्सा 30%सामान्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर में गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालों के लिए केंद्र का हिस्सा 35%, राज्य का हिस्सा 25% और लाभुक का हिस्सा 40%पूर्वोत्तर पहारी क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे वाला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र का हिस्सा 50%, राज्य का हिस्सा 30% और लाभुक का हिस्सा 20%मुश्किल क्षेत्र में गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालों के लिए केंद्र का हिस्सा 45%, राज्य का हिस्सा 25% और लाभुक का हिस्सा 30% मुश्किल क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे वालों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र का हिस्सा 60% राज्य का हिस्सा 30% और लाभुक का हिस्सा 10%
सामान्य क्षेत्र में दर % पूर्वोत्तर क्षेत्र पहारी क्षेत्र LWE प्रभावित क्षेत्र में दर मुश्किल क्षेत्र में दर%	
तीन वर्ष की बीमा पालिसी के लिए बीमित राशि की प्रीमियम का दर%	
सामान्य क्षेत्र में दर% पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहारी क्षेत्र/ LWE प्रभावित क्षेत्र में दर मुश्किल क्षेत्र में दर	

सारांश

पशुधन, कृषि–आधारित भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, जो फसल–आधारित कृषि–प्रणाली के जोखिमों के प्रबंधन में भी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु पशुपालन स्वयं ही जोखिमों से सुरक्षित नहीं. भारत में विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों का पालन घरेलु और व्यपारिक जरूरतों के लिए किया जाता है जिनमे से गाय, भैंस, बकरी, भेंड आदि का पालन मुख्यरूप से दूध एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। सीमान्त, लघु एवं मध्यम जोत वाले किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन और पशु उत्पादों के विपणन से प्राप्त होता है। प्रायः उन्नत नश्ल के गाय, भैंस, बकरी, भेंड आदि उच्चतर कीमतों पर खरीदे–बेचे जाते हैं और पशुओं में अपंगता होने या उनकी अप्रत्यासित मृत्यु हो जाने पर पशुपालकों को भारी हानि का सामना करना परता है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि पशुपालकों को एक ऐसा सुरक्षा–कवच उपलब्ध कराया जाये जो जोखिम की अवस्था में सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करता हो। पशुधन बीमा योजना एक ऐसी ही व्यवस्था है जिसे अपना कर पशुपालन से जुड़े जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानियों से बचा जा सकता है।

आलेख्य एवं प्रस्तुतिकरण:-
डा0 अवधेश कुमार, सहायक प्राध्यापक
संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
प्रसार शिक्षा निदेशालय
बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर पटना-14
Email: deebasupatna@gmail.com (Official), dee-basu-bih@gov.in
Mob.: +91 94306 02962,+91 80847 79374

RE: 8051910781/ August/ 2022

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

प्रसार पुस्तिका संख्याः- DEE/2022-46

पशुधन बीमा योजनाः पशुपालन में जोखिम प्रबंधन का कारगर उपाय

प्रसार शिक्षा निदेशालय
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,पटना-14

परिचय

बीमा अप्रत्याशित नुकसान से बचाव का एक सशक्त माध्यम है। यह एक तरह की जोखिम–प्रबंधन व्यवस्था है जो जोखिमों की अवस्था में नुकसान की भरपाई कर जोखिमों के नकारत्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। पशुधन बीमा योजना ऐसे ही जोखिमों से पशुपालकों को पशुधन की अप्रत्यासित मृत्यु या अपंगता से होने वाली हानियो से सुरक्षा–कवच प्रदान करता है। देश में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत सन् 2005–06 और 2006–07 में प्रारंभिक परियोजना (पायलेट प्रोजेक्ट) के तौर पर की गई थी जिसके सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए वर्ष 2007–08 में इसे देश के चुने हुए 100 जिलों में लागू किया गया। बाद में पशुधन बीमा योजना को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उपांग 'पशुधन विकास' में 'जोखिम प्रबंधन एवं बीमा' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और 21 मई 2014 से यह देश के सभी राज्यों में अनवरत रूप से लागू है।

पशुधन बीमा योजना में शामिल पशु

पशुधन बीमा योजना में लगभग सभी प्रकार के आर्थिक महत्त्व वाले पशुओं को शामिल किया गया है। पशुपालक उन्नत देशी और संकर नश्ल के दुधारू पशु जैसेकि गाय और भैंस के आलावा अन्य पशुओं जैसे कि बैल, भैंसा घोड़े, गधे, ऊँट, बकरियां, भेंडे, सूकर, खरगोश, याक, मिथुन, आदि का बीमा करवा कर इस योजाना का लाभ ले सकते हैं। गाय और भैंस पशुपालन में प्रमुख स्थान रखते हैं और इनका पालन व्यवसायिक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। उद्यमिता विकास के लिए भी डेरी फार्मिंग प्रचुर संभावनाएं पैदा करता है। इतना ही नहीं किसानों की आय बढ़ाने में भी डेरी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है लेकिन पशुपालकों को कभी–कभी पशुओं के रोग, मृत्यु, अपंगता, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण हानि भी उठानी पड़ती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पशुपालक इन दुधारू पशुओं के पालन में पशुधन बीमा का लाभ अनिवार्यरूप से उठायें और संबद्धित व्यवसाय का भरपूर लाभ लें।

पशुधन बीमा के प्रकार

पशुधन बीमा योजना मुख्यतौर पर दो प्रकार के जोखिमों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करता हैः

1. पशुओं की अप्रत्यासित मृत्यु होने पर : दुर्घटनावश पशु की मृत्यु होने पर, घायल होने पर, शैल्य चिकित्सा के कारण हुए संक्रमण से हुई बीमारी की अवस्था में पशुधन बीमा योजना पशुपालकों को बीमा–सुरक्षा उपलब्ध कराता है।
2. स्थायी अपंगता होने परः पशुधन बीमा योजना पशुओं में स्थायी एवं संपूर्ण अपंगता होने पर भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

पशुधन बीमा की उपलब्धता

आग लगने, सड़क–दुर्घटना, डूबने, बिजली का झटका लगने, सर्प–दंश, जहर से होने वाली मृत्यु या अपंगता के अतिरिक्त निम्नलिखित अवस्थाओं में भी पशुधन बीमा योजना सुरक्षा उपलब्ध कराता हैः

- प्राकृतिक आपदा यथा आंधी–तूफान और भूकंप से हुआ नुकसान।
- बीमारी, संक्रमण, या शल्य क्रिया के दौरान बच्चा पैदा होने के कारण मृत्यु होने पर।
- दुधारू पशु में स्थायी अपंगता जिसके कारण वो गर्भाधान न कर सकें या दूध न दे सकें या वैसे सांड जो प्रजनन में अक्षम हो जायें।

पशुधन बीमा योजना की प्रक्रियाएं

पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैंः

- बीमित राशि का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम पशुधन की प्रजाति एवं नश्ल की पहचान करके उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्यांकन लाभुक, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा मिलकर निर्धारित पशु चिकित्सकध्प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जाता है।
- गाय के लिए न्यूनतम मूल्य 3000 रुपये प्रति लीटर दूध और भैंस के लिए 4000 रूपये प्रति लीटर दूध उत्पादन अथवा बाजार में लागू उच्च दर पर किया जाता है।
- पशु की बीमा अद्यतन बाजार दर पर की जाती है।
- बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार लाभुक पशुपालक को मासिक या वार्षिक किश्तों में प्रीमियम की राशि जमा करनी होती है।
- परंपरागत कर्ण–चिह्न या आधुनिक माइक्रोचिप जैसे तकनीक का प्रयोग पालिसी लेने के समय किया जा सकता है। इन्हें लगाने पर होने वाले खर्चे बीमा कंपनी वहन करती है जबकि इनके रखरखाव के खर्च लाभुक को उठाना होता है।
- बीमा की प्रक्रिया के वक्त ही बीमित पशु की एक तश्वीर पशुपालक के साथ और पशु की एक और तश्वीर कर्ण–चिह्न के साथ ले ली जाती है।
- बीमा अवधि के दौरान पशु की बिक्री होने पर बीमा सुरक्षा स्वतः ही शेष अवधि के लिए नए मालिक को हस्तांतरित हो जाते हैं।
- पशु की मृत्यु या अपंगता के अवस्था में शीघ्रताशीघ्र संलग्न बैंक को सूचित करना।
- सभी प्रकार के वांछित कागजात (बीमा पालिसी, दावा प्रपत्र, शव–विच्छेदन रिपोर्ट) बीमा कंपनी को उपलब्ध करना आवश्यक है। साथ ही पहचान चिह्न भी मृत पशु की चार तश्वीर के साथ जमा कराना जरुरी है।
- बीमा कंपनी का प्रतिनिधि सारे कागजातों की जाँच करने के बाद पशुपालक के दावों का निपटारा कर 15 दिनों के अन्दर भुगतान सुनिश्चित कराये यह वांछित है।

बीमा योजना हेतु निर्धारित योग्यता

- योजना का लाभ प्रति लाभुक प्रति घरारी बकरी, भेड़, सूकर और खरगोश को छोड़कर 5 पशुओं तक ही लिया जा सकता है। बकरी, भेड़, सूकर और खरगोश के सन्दर्भ में इन्हें गाय तुल्य इकाई (कैटल यूनिट, जोकि एक गाय को दस बकरी, भेड़, सूकर के बराबर मानकर निर्धारित किया जाता है) अर्थात 50 तक सीमित है।

तालिका–1. पशु बीमा योजना हेतु बिभिन पशुओं की उम्र आहर्ता

पशु के प्रकार	पशुओं की उम्र
दुधारू गाय	2 वर्ष या प्रथम ब्यांत – 10 वर्ष
दुधारू भैंस	3 वर्ष या प्रथम ब्यांत – 12 वर्ष
प्रजनक सांड	3 वर्ष – 8 वर्ष
बैल और भैंसा	3 वर्ष – 12 वर्ष
बछरीध युवा बछिया	4 माह की उम्र – 2 वर्ष या प्रथम ब्यांत की उम्र, जो भी कम हो
दुधारू भैंस बच्चे	3 वर्ष या प्रथम ब्यांत की उम्र, जो भी कम हो

केन्द्रीय सहायता की दर

पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमे बीमा की अवधि और क्षेत्रानुसार केंद्रीय सहायता की राशि में सहयोग की दर तालिका–2 में दर्शायी गई है।

बीमा दावेदारी का निष्प्रभावी होना

यद्यपि पशुधन बीमा योजना उन सभी पशुपालकों को बीमा सुरक्षा मुहय्या कराने की दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम है किन्तु निम्म्लिखीय परिस्थितियों में पशुपालकों की दावेदारी खारिज हो जाती हैः

- पशुधन की चोरी या संदेहास्पद विक्रय में
- वायुमार्ग या समुद्री मार्गों से आवागमन की अवस्था में
- आतंकवाद, युद्ध, विकिरण एवं नाभकीय विस्फोट की अवस्था में
- पशु की अनदेखी, अत्यधिक भारवहन और अयोग्य पशु चिकितशक से इलाज होने की अवस्था में